संख्या 24 /2015/ 1438/ सत्रह - म- 2015- 6-9 (59)/2003

प्रेषक

रजनीश गुप्ता
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0 लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 01 अक्टूबर 2015

विषय वेतन समिति -2008 की संस्तुतियों पर सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के सम्बंध में लिए गये निर्णय के क्रियान्वयन के सम्बंध में ।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 389 /स्था0शा0/1-8/2003दिनांक 30-07-2014 एवं पत्र संख्या- 306/ स्था0 शा0/1-8/2003 दिनांक 09-06-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के सम्बंध में शासनादेश संख्या – वे0आ0-2 -2105/दस-54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 22 दिसम्बर 2011द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मत्स्य उत्पादन अनुभाग के शासनादेश संख्या–2691(1)/सत्रह-म-2011, 6-9(59)/ 2003 दिनांक 19-06-2012 में दिनांक 22 दिसम्बर 2011 से श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें है:-

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन रू0	पदों की संख्या	भर्ती की विधि
1	2	3	4	5	6
1	वरिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड –1 रू0 5200-20200/-	2800/-	15	मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायकों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
2	प्रधान सहायक	वेतन बैण्ड –2 रू0 9300-34800/-	4200/-	11	मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ सहायकों में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

3	प्रशासनिक अधिकारी	वेतन बैण्ड –2 रू0 9300-34800/-	4600/-	04	05 वर्ष की सेवा वाले प्रधान सहायकों के पदों से शतप्रतिशत पदोन्नति द्वारा ।

2- शासनादेश सख्या – 2691(1)/ सत्रह-म-2011, 6-9(59)/ 2003 दिनांक 19 जून 2012 में दी गयी शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगें ।

3- उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश – वे0आ0 -2-841/दस 2009-59(एम)/ 2008 दिनांक 24 दिसम्बर 2009 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश - वे0आ0 -2-1199/दस-15 दिनांक 16-09-2015 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या 24 /2015/ 1438(1)/सत्रह-म-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
3- वित्त् (वेतन आयोग) अनुभाग- 1 / 2
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) /अनुभाग- 2
5- निदेशक / अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो,वित्त विभाग उ0प्र0 सचिवालय लखनऊ ।
6- कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(लाल धीरेन्द्र राव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com